FORM No. III

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रभात त्रिपाठी)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 11/2022

1. सुनीता कांटीवाल पत्नि श्री देवराज कांटीवाल जाति भांबी निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीया

बनाम

1. गोगली देवी पत्नि स्व0 श्री रामनाथ जाति भील निवासी मथानिया
2. कालू पुत्र स्व0 श्री रामनाथ जाति भील निवासी मथानिया
3. सीता देवी पुत्री स्व0 श्री रामनाथ जाति भील निवासी मथानिया
4. काली देवी पत्नि स्व0 श्री रामनाथ जाति भील निवासी मथानिया
5. अलोली देवी पत्नि श्री रामधन जाति खाती निवासी मथानिया
6. श्री महावीर पुत्र श्री रामधन जाति खाती निवासी मथानिया
7. श्री शुभकरण पुत्र श्री रामधन जाति खाती निवासी मथानिया
8. श्री गोपाल पुत्र श्री पन्ना जाति खाती निवासी मथानिया
9. न्याली पत्नि श्री पन्ना जाति खाती निवासी मथानिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री धर्मवीर बामनिया अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री त्रिलोक जांगिड अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 लगायत 9
3. पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 08.02.2023

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मथानिया पटवार हल्का सिंगावल भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 538 रकबा 0.10, 539 रकबा 0.18, 540 रकबा 0.03, 544 रकबा 0.13, 549 रकबा 0.14, 565 रकबा 0.16, 566 रकबा 0.14, 566/1967 रकबा 0.02 किता–08 रकबा 0.90 हैं0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। जिस पर आवागमन एवं कृषि कार्य का कोई मार्ग नहीं होने से प्रार्थी को विधिवत कृषि कार्य करने में अनेकानेक कठिनाई व दुश्वारियां वहन करनी पड रही है तथा वह सुचारू रूप से अपना कृषि कार्य विधिवत सम्पन्न नहीं कर पा रहा है एतद् द्वारा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर जाने के लिए व कृर्षि कार्य के लिए न्यायोचित मार्गाधिकार की यथोचित व सम्यक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 537 रकबा 0.26 है0 , 744 रकबा 0.12 है0, 745 रकबा 0.19 है0, 746 रकबा 0.15 की पूर्वी मेर का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं लेकिन अप्रार्थीगण इस सुखाचार के अधिकार को लेकर आये दिन झगडा–फसाद करते रहते है। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वर्णित आराजीयात से 20 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर न्यायालय में तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 ने जवाब पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित आनुतोष हेतु सहमति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र की पुष्टि की। अप्रार्थीगण सं. 5 लगायत 9 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया के कथनों को नकारते हुए लिखित निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की आराजीयात में से प्रार्थीया का कोई रास्ता नहीं है औश्र न ही कथित रास्ते से अन्य ,खातेदार, सहखातेदार एवं पडौसी आते–जाते है। प्रार्थीया को कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्व नक्शें में यहां कोई रास्ता नहीं हैं, प्रार्थीया व अन्य किसी ने भी कथत रास्ते का बैलगाडी या ट्रैक्टर आदि लाने–ले–जाने के लिए कभी भी उपयोग नहीं किया है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण पर रास्ता रोकने का आरोप मिथ्या है। जबकि प्रार्थीया को अपनी आराजी में कृषि कार्य हेतु आने–जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध हैं जिससे आवागमन कर कृषि कार्य सम्पन्न किया जाता है। प्रार्थीया ने मौके की स्थिति के विपरित जानबूझकर गलत तथ्य अंकित किए है। जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य बताया। प्रकरण के सन्दर्भ में अप्रार्थी सं. 10 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार तहसीलदार भिनाय ने स्पष्ट किया कि प्रार्थीया द्वारा खसरा नं. 537, 744, 745, 746 का उपयोग रास्ते हेतु किया जाता रहा है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी पर आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। अतः उन्होनें खसरा नं. 537, 744, 745, 746 के सहारे–सहारे 6 मीटर चौडा 179 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना विधिक रूप से उचित होना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने हुेत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थीया अधिवक्ता ने एतराज जाहिर किया। पुनः मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षान को सुना जाकर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को अनावश्यक विलंब करना प्रतीत होने से अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का.अधि. पर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अनुसार कथन दोहराए एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब पत्र अनुसार तर्क करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का अनुरोध किया। बहस उभयपक्षान पर मनन किया जाकर एवं उपलब्ध दस्तावेजात जवाब अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4, मौका कमीश्नर रिपोर्ट आदि का गहनता से अध्ययन किया गया तो पाया कि तहसीलदार भिनाय द्वारा खसरा नं. 537, 744, 745, 746 से होते हुए प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नं. 539 व अन्य खसरा भूमि में जाने तक नक्शा ट्रेस में दर्शाया जो बिलकुल सटीक रास्ता पाया जाता है। अतः अप्रार्थीगण के खसरा नं. 537, 744, 745, 746 से होकर यह रास्ता प्रार्थीया के खेतों में जाता है जिसकी डी.एल.सी.दर 252599/– प्रति हैक्टेयर से बताई है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की डबल कोस्ट कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। अतः खसरा नं. 537 से रास्ते हेतु 450 वर्ग मीटर (6 मीटर चौडा **गुणा** 75 मीटर लम्बा), खसरा नं. 744 से रास्ते हेतु 156 वर्ग

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

FORM No. III

मीटर (6 मीटर चौडा **गुणा** 26 मीटर लम्बा), खसरा नं. 745 से रास्ते हेतु 252 वर्ग मीटर (6 मीटर चौडा **गुणा** 42 मीटर लम्बा) व खसरा नं. 746 से रास्ते हेतु 216 वर्ग मीटर (6 मीटर चौडा **गुणा** 36 मीटर लम्बा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 25.26/–रू. प्रति वर्ग मीटर से कुल दौगुना राशि **30615/–रू.** (अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4), राशि 12791/–रू. (अप्रार्थी सं. 5 लगायत 7) व राशि 10912/– रू. (अप्रार्थी सं. 8 लगायत 9) मुकर्रर की जाती है। तहसीलदार भिनाय को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 को मुकर्रर राशि प्रार्थीया से दिलवाई जाकर रसीद प्राप्त की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि प्रापत नहीं करने की स्थिति में राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। प्रार्थीया उक्त राशि अदा करें। प्रार्थीया सुनीता पत्नि देवराज कांटीवाल खातेदार के लिए ग्राम मथानिया पटवार हल्का सिंगावल, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय जमाबंदी संवत 2071–2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 135 में दर्ज खसरा नं. 537 रकबा 0.26 में से 450 वर्ग मीटर, 744 रकबा 0.12 में से 156 वर्गमीटर, खाता सं.171 में दर्ज खसरा नं. 745 रकबा 0.19 में से 252 वर्गमीटर व खाता सं. 32 में दर्ज खसरा नं. 746 रकबा 0.15 में से 216 वर्गमीटर भूमि प्रार्थीया की उपवर्णित खातेदारी भूमि खसरा नं. 539 रकबा 0.18 हैं0तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में दर्शित रास्ते की यथानुसार तरमीम कर इन खसरा नम्बरान का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner